रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257701
CG-DL-E-04102024-257701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3972]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2024/आश्विन 11, 1946
No. 3972]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2024/ASVINA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4331(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 654(अ), तारीख 11 फरवरी, 2020 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना का.आ. संख्यांक 654 (अ), तारीख 11 फरवरी, 2020 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 654 (अ), तारीख 11 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मानीटरी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

(क) सोलापुर जिले के लिए मानीटरी समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	जिला कलेक्टर, सोलापुर जिला	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला परिषद, सोलापुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर तीन साल में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित जैव विविधता विशेषज्ञ।	सदस्य, पदेन;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोलापुर	सदस्य, पदेन;
(vii)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पुणे का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(viii)	नगर नियोजन अधिकारी, सोलापुर	सदस्य, पदेन;
(ix)	उप वन संरक्षक, सोलापुर वन प्रभाग सोलापुर	सदस्य सचिव, पदेन।

(ख) अहमदनगर जिले के लिए मानीटरी समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	जिला कलक्टर, अहमदनगर जिला	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला परिषद, अहमदनगर के एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर तीन साल में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	प्रत्येक तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ।	सदस्य, पदेन;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अहमदनगर	सदस्य, पदेन;

(vii) नगर नियोजन अधिकारी, अहमदनगर सदस्य, पदेन;

(viii) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पुणे का एक प्रतिनिधि सदस्य, पदेन;

(ix) उप वन संरक्षक, अहमदनगर सदस्य सचिव, पदेन।

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की छानबीन मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में निर्दिष्ट रूपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/38/2018-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा,वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) तारीख 11 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2024

S.O. 4331(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around the Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 654 (E), dated the 11th February, 2020;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 654 (E), dated the 11th February, 2020;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 654 (E), dated the 11th February, 2020, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes the following Monitoring Committees, namely:-

Monitoring Committee for Solapur District shall consist of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Solapur District	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of Zilla Parishad, Solapur	Member, ex officio;
(iii)	One representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member
(iv)	One expert in the area of ecology and environment from reputed university or Institute to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member
(v)	An expert in biodiversity nominated by the State Government from time to time every three years.	Member, ex officio;
(vi)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Solapur	Member, ex officio;
(vii)	A representative of the Chief Conservator of Forests (Wildlife), Pune	Member, ex officio;
(viii)	Town Planning Officer, Solapur	Member, ex officio;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Solapur Forest Division Solapur	Member Secretary, ex officio.

(b) Monitoring Committee for Ahemadnagar District shall consist of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Ahemadnagar District	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of Zilla Parishad, Ahemadnagar	Member, ex officio;
(iii)	One representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member
(iv)	One expert in the area of ecology and environment from reputed university or Institute to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member
(v)	An expert in biodiversity nominated by the State Government from time to time every three years.	Member, ex officio;

(vi)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Ahemadnagar	Member, ex officio;
(vii)	Town Planning Officer, Ahemadnagar	Member, ex officio;
(viii)	A representative of the Chief Conservator of Forests (Wildlife), Pune	Member, ex officio;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Ahemadnagar	Member Secretary, ex officio.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** –(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State in pro-forma specified in **Annexure-V**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F.No.25/38/2018-ESZ]

Dr. S. KERKETTA , Scientist “G”

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 654(E), dated the 11th February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.04 18:49:10 +05'30'